भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं.121/जीएस/90-2012 **दिनांक : 08.04.2016**

निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली अनुलग्नक-I (सामान्य निबंधन एवं शर्त), अनुलग्नक-II (कार्य की अनुसूची और आपका मूल्य उद्धत करें) और अनुलग्नक-III (निविदा आवेदन फॉर्म) में विस्तृत रूप से पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली और 10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली पर कार्यालय बिल्डिंग में स्थापित अपने सैमसंग, एचपी और शार्प मेक फैक्स मशीनों के लिये पूर्ण वार्षिक रखरखाव ठेके (आगे से 'सीएएमसी' कहा जायेगा) हेतु एकीकृत रूप के (सीमित निविदा पूछताछ प्रणाली) अंतर्गत मुहरबंद कोटेशन आमंत्रित करता है।

मुहरबंद कोटेशन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (जीएस), भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षा का कार्यालय, पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली - 110124 को संबोधित, निर्धारित प्रोफॉर्मा में विधिवत रूप से भर कर 2 मई 2016 को 11:00 बजे पूर्वाहन तक अवश्य पहुँच जानी चाहिए। मुहरबंद कोटेशन नियत तिथि एवं समय तक इस कार्यालय के जीएस अनुभाग को प्रेषित किया जाना चाहिए। सभी निबंधन एवं शर्तों के साथ निर्दिष्ट फॉर्म भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षा का कार्यलय, पाकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली के जीएस अनुभाग से किसी भी कार्य दिवस को 04:00 बजे अपराहन से 05:00 बजे अपराहन के बीच तक प्राप्त किया जा सकता है। यह http:/saiindia.gov.in के वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। यह बोली भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक नई दिल्ली के कार्यालय में इस कार्यालय द्वारा प्राधिकृत समिति द्वारा तथा ऐसे बोलीदाताओं की उपस्थिति में जो उपस्थित होने के इच्छुक हैं, दिनांक 2 मई 2016 को 3:00 बजे अपराहन खोली जाएगी। सक्षम प्राधिकारी को किसी या सभी कोटेशन को बिना किसी कारण बताए अस्वीकृत करने का अधिकार है।

(दिनेश कुमार)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (सामान्य सेवाएं)

संलग्न:

1. अनुलग्नक -I (सामान्य निबंधन एवं शर्त)
2. अनुलग्नक -II (कार्य की अनुसूची/आपकी मूल्य उद्धत करें)
3. अनुलग्नक -III (निविदा आवेदन फॉर्म)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं.121/जीएस/90-2012 **दिनांक : 08.04.2016**

<u>सामान्य निबंधन एवं शर्तें</u>

1. भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय अनुबंध-II (कार्यों की सूची) में सूचीबद्ध अपनी सैमसंग, एचपी तथा शार्प मेक फैक्स मशीनों के संबंध में व्यापक वार्षिक अनुरक्षण संविदा प्रदान करने के लिए एक एजेंसी की सेवाओं को भाड़े पर लेगा।

2. **पार्टियां:-** बोली की पार्टियां बोलीदाता (जिसे कार्य दिया गया है) और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली होंगी।

3. **पताः-** इसके अंतर्गत मध्यस्थता सहित ठेका के सभी उद्देश्यों के लिए बोली में उल्लिखित बोलीदाता का पता अंतिम होगा जब तक कि बोलीदाता भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय को देय पावती के साथ पंजीकृत डाक द्वारा भेजे गए पृथक पत्र द्वारा पते के परिवर्तन की अधिसूचना नहीं देगा। बोलीदाता उपरोक्त तरीके से पते में परिवर्तन की अधिसूचना देने में किसी गलती या चूक के परिणामों हेतु एकमात्र उत्तरदायी होगा।

4. **बयाना राशिः** किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक से बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में ₹ 10,000/- (₹ दस हजार केवल) की बयाना राशि उनके यथावत भरे गए बोली दस्तावेजों सहित बोलीदाता द्वारा जमा की जानी चाहिये। बैंक गारंटी की वैधता बोली को प्रस्तुत करने की तिथि से शुरू होने वाले 3 (तीन) महीनों तक होनी चाहिए। बैंक गारंटी/डिमांड ड्राफ्ट **<u>पीएजो, प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा), दिल्ल के पक्ष में और नई दिल्ली</u>** में देय होना चाहियें।

4.1 किसी भी पिछले कार्य के संबंध में विभाग द्वारा धारित किसी भी लंबित बिल के प्रति समायोजन या सुरक्षा जमा या कोई भी पहले जमा की गई बयाना राशि के स्थानांतरण के लिए कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

4.2 बोलीदाता को इसकी निबंधन एवं शर्तों में संशोधन या अपने प्रस्ताव को वापस लेने की अनुमति नहीं होगी। यदि बोलीदाता इसमें दी गई शर्तों तथा निबन्धनों का पालन करने तथा अनुबंध अनुपालन को पूरा करने में विफल रहे या दर प्रस्तुत करने के बाद पीछे हटे या निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं करता है तो उपरोक्त जमा बयाना राशि सरकार के पास जब्त कर ली जायेगी। ऐसी स्थिति में, बोलीदाता को इस कार्यालय के भावी निविदाकरण से भी वंचित कर दिया जाएगा।

4.3 बयाना राशि के बिना बोली तुरंत खारिज कर दी जायेगी।

4.4 बयाना राशि जमा या सुरक्षा जमा की राशि पर ब्याज या मूल्य में काटने के संबंध में सरकार/विभाग के प्रति कोई दावा नहीं होगा।

4.5 असफल बोलीदाताओं के इएमडी बोलियों के खुलने की तारीख से 15 दिनों के अन्दर वापस कर दिए जाएंगे।

5. बोलियों को तैयार करना और प्रस्तुतीकरणः

बोलियों को एकीकृत तरीके अर्थात बोली दस्तावेज में कथित इस कार्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार सभी अपेक्षित दस्तावेजों द्वारा समर्थित बयाना राशि जमा सहित विशिष्ट प्रॉफार्मा में कीमतों को उद्धृत्त करते हुए लिफाफे में एकल बोली में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5.1 **निविदा पर हस्ताक्षर:** ठेका से संबंधित बोलियों या अन्य दस्तावेजों पर वैयक्तिक हस्ताक्षर करने वाले को यह अवश्य स्पष्ट करना चाहिए की उसने निम्नलिखित के रूप में हस्ताक्षर किया है:-

(क) मामले का ''एकल स्वामी'' या ऐसे एकल स्वामी का कानूनी अटार्नी।

(ख) फर्म का भागीदार, यदि यह भागीदारी फर्म है, जिसमें उसके पास फर्म की तरफ से ठेकों को कार्यान्वित करने और या तो फर्म के भागीदारों द्वारा भागीदारी करार के आधार पर या यथावत निष्पादित अटर्नी के अधिकार द्वारा भागीदारी के कारोबार से संबंधित विवाचन विवादों को भेजने का अधिकार होना चाहिए।

(ग) बोर्ड या कम्पनी यदि यह एक कम्पनी है, के निदेशकों द्वारा यथावत प्राधिकृत निदेशक या प्रधान अधिकारी।

एन.बी

(1) भागीदारी फर्मों के मामलों में <u>भागीदारी करार की एक प्रति</u> या नोटरी पब्लिक द्वारा यथावत प्रमाणित जनरल पावर ऑफ अटर्नी को भागीदारी करार या जनरल पॉवर ऑफ अटर्नी के कार्यान्वयन को स्वीकारते हुए सभी भागीदारों द्वारा यथावत शपथबद्ध स्टाम्प लगे कागज पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फर्म के पंजीकरण के प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रति भी निविदा के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

(2) उन भागीदारी फर्मों के मामले में, जहां भागीदारी फर्म के कारोबार से संबंधित विवादों को संदर्भ करने के लिए कोई अधिकार किसी पार्टी को नहीं दिए गए है, वहॉ बोलियों एवं सभी अन्य संबंधित दस्तावेजों पर फर्म के सभी भागीदारों द्वारा अवश्य हस्ताक्षर किये जाने चाहिएं।

(3) अन्य व्यक्ति की तरफ से बोलियों का भाग बनने वाले बोली फोर्म या किसी अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के पास ऐसे दूसरे व्यक्ति की तरफ से बोली का प्राधिकार होना चाहिए, यदि जांच में यह पता चलता है कि जो व्यक्ति हस्ताक्षर कर रहा है, के पास कोई अधिकार नहीं है तो भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय, बिना किसी पूर्व धारणा के ठेका निरस्त कर देगा और हस्ताक्षरकर्ता को उपलब्ध सिविल एवं आपराधिक उपायों के अंतर्गत सभी लागतों, परिणामों और क्षतिपूर्तियों के लिए दायी बनाएगा।

(4) बोलीदाता बोलियों के प्रत्येक पृष्ठ और अपने सभी अनुबंधों पर हस्ताक्षर करेगा और अपनी/अपनी फर्म की मुहर लगाएगा क्योंकि बोलीदाता द्वारा प्रस्ताव के स्वीकरण को ठेका के रूप में माना जाएगा और कोई पृथक औपचारिक ठेका तैयार नहीं किया जाएगा। **इस बोली दस्तावेज से कोई पृष्ठ हटाया/अलग नहीं किया जाना चाहिए** (यह उप-खण्ड उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां पृथक करार के हस्ताक्षर को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा आवश्यक समझा गया है)।

6. बोलियों की वैधता:

बोलियॉ, बोलियों के शुरू होने की तिथि से 180 दिन की अवधि के लिए वैध होगी।

7. बोली खोलने की प्रक्रिया:

बोली के खोलने की प्रक्रिया में एक से अधिक प्रतिनिधि उपस्थित नहीं होगा बोलीदाता स्वयं उपस्थित रह सकता है या किसी को अधिकृत कर सकता है। प्रतिनिधि को बोलीदाता की तरफ से बोली खोलने में भाग लेने के लिए अपने साथ बोलीदाता से प्राधिकार पत्र एवं पहचान का प्रमाण लाना होगा।

8. **बोलियों के मूल्यांकन के लिए मानदण्ड:** बोली समिति कक्ष में दिनांक 02 मई 2016 को 3:00 बजे अपराहन सक्षम प्राधिकारी द्वारा समिति कक्ष में, ऐसे बोलीदाताओं की उपस्थिति में जो उपस्थित होने के इच्छुक हैं, खोली जाएगी।

9. **स्वीकृति का अधिकारी**: भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के कार्यालय को किसी भी बोली को अस्वीकार करने के सभी अधिकार हैं जिनमें वे बोलीदाता भी शामिल हैं जो बिना किसी कारण बताएं निर्देश का अनुपालन करने मे विफल हों तथा न्यूनतम तथा किसी भी विशेष बोलियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। इस संदर्भ में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकार का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकार होगा।

9.1 निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में बोलीदाता की ओर से कोई भी असफलता तथा कार्य के लिए प्रचार करने के प्रयास से बोलीदाता की बोली अस्वीकृत के लिए दायी हो जायेगी।

9.2 भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकार को अपने विवेक से किसी सफल एजेंसी को कोई भाग या पूर्ण संविदा प्रदान करने का अधिकार है, और यह बोलीदाताओं पर बाध्य होगा।

9.3 एजेंसी जिसे संविदा प्रदान की गई है, द्वारा उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के प्रावधान के अनुपालन की असफलता की स्थिति में भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को अगले उच्चे बोलीदाता अथवा अन्य किसी बाहरी एजेंसी को संविदा प्रदान करने का अधिकार है तथा कीमत की भिन्नता चूककर्ता एजेंसी से वसूल की जाएगी जिसे प्रारंभिक रूप से संविदा प्रदान की गई है तथा यह बोलीदाताओं पर बाध्य होगा। संविदा दस्तावेज तथा/अथवा निविदा दस्तावेज के नियमों तथा शर्तों के उल्लंघन के मामलों में, संविदाकार द्वारा जमा प्रतिभूति राशि सरकार के लिए जब्त करने योग्य होगी तथा संविदाकार कार्यालय द्वारा कालीसूची में डाले जाने का दायी होगा।

10. **संविदाकार को सहायता**: संविदाकार या तो संविदा पूर्ण करने के लिए आश्यक सामग्री की खरीद में और न ही दूसरे प्रकार से सहायता के लिये पात्र होगें।

11. **स्वीकृति की सूचना**: सफल बोलीदाता को उनकी बोली की स्वीकृति के बारे में सूचित किया जायेगा।

12. **ठेके की वैधता:** ठेका, यदि दिया जाता है तो ठेकदार के निरन्तर संतोषजनक निष्पादन के अधीन आरम्भ में देने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए होगा। तथापि, ठेका/निविदा दस्तावेज के निबंधन तथा शर्तों के उल्लंघन के मामले में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय को ठेकेदार द्वारा जमा निष्पादन प्रतिभूति राशि को जब्त करने के अलावा ठेके को समाप्त करने का अधिकार होगा और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के एकाधिकार पर उसे ब्लैक लिस्ट करने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई की

जाएगी। एक वर्ष की प्रारंभिक अवधि को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के एकाधिकारी पर प्रत्येक बार एक वर्ष के लिए अधिकतम दो बार और बढाया जा सकता है।

13. **प्रतिभूति जमा:** बोलियों की स्वीकृति पर, ठेकेदार/सफल बोलीदाता भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अन्दर उसे पीएओ, प्रधान महालेखाकार (ले.प.) दिल्ली, नई दिल्ली के पक्ष में नई दिल्ली में भुगतान योग्य बैंक गारन्टी के रूप में निष्पादन प्रतिभूति जमा के रूप में ₹ 10,000/- (दस हजार रूपए) की ईएमडी को परिवर्तित करेगा। बैंक गारन्टी को उल्लंघन या लापरवाही या संविदा की किसी निबंधन/शर्त का गैर-अनुपालन या लापरवाही या असंतोषजनक निष्पादन या कार्य आदेश की गैर स्वीकृति के मामले में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के आदेश द्वारा जब्त किया जा सकता है। संविदा की समाप्ति पर, उपरोक्त बैंक गारंटी के ऐसे भाग जो फर्म के बिलो पर गलत या अधिक भुगतान करने को कवर करने के लिए पर्याप्त हो, पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा विचार किया जा सकता है उसे तब तक रखना होगा, जब तक फर्म के बिलो के लेखो पर अन्तिम लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्राप्ति तथा उसकी जांच नहीं हो जाती।

क) यदि संविदाकार को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिभूति को जमा करने के लिए बुलाया जाता है और संविदाकार विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्रतिभूति जमा कराने में असफल रहता है तो ऐसी असफलता को संविदा का उल्लंघन माना जाएगा तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय संविदाकार के जोखिम, लागत तथा खर्च पर अन्य प्रबन्ध करने का हकदारी होगा।

ख) सभी संदर्भो में संविदा के उचित निष्पादन तथा समापन पर, जमा प्रतिभूति निर्धारित फार्म में पूर्ण बेबाकी प्रमाण पत्र की प्रस्तुती पर तथा खरीददार से संबंधित ठेकेदार को जारी किए गए किन्हीं विनिर्देशकों, नमूनों अथवा अन्य सम्पत्ति के अच्छी अवस्था में वापसी पर बिना किसी ब्याज के ठेकेदार को वापिस की जाएगी।

14. **जुर्माना:**

(क) संविदा की किसी शर्त के उल्लंघन के मामलें में तथा घटित हुई सभी प्रकार की हानियों के लिए, ठेकेदार को ऐसी हानियों के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय को पूर्ण क्षतिपूर्ति करनी होगी।

(ख) ठेकेदार द्वारा यहां अनुबंधों में निर्धारित अथवा संविदा में सहमत कर्त्तव्यों के निष्पादन में लापरवाही के मामलों में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय को फैक्स मशीनों का अनुरक्षण अथवा मरम्मत कार्य/कलपुर्जे ठेकेदार की लागत एवं जोखिम पर कहीं और से कराने तथा ठेकेदार द्वारा पेश किये गए बिलों से कटौती करने की स्वतंत्रता होगी अथवा वे इस अथवा किसी अन्य संविदा के अन्तर्गत ठेकेदार द्वारा देय होगें अथवा प्रतिभूति जमा से कटौती की जाएगी अथवा सात दिन के अन्दर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के क्रेडिट पर भुगतान करने की मांग की जा सकती है।

(ग) उस मामले में यदि ठेकेदार उसी दिन (शिकायत दर्ज करने के 12 घण्टों के अन्दर) शिकायतों पर ध्यान दने में विफल हो जाता है तो ऐसी लापरवाही के लिए उपरोक्त उप-पैरा (ख) द्वारा की जाने वाली कटौतियों के अलावा प्रति दिन प्रति शिकायत ₹ 500/- की शास्ति लगाई जाएगी।

(घ) इस शर्त के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय की शक्तियॉ प्रावधानों के अनुसार न तो उनमें निहित ठेका को समाप्त करने के लिए कतिपय मामलों में शक्तियों को किसी भी तरह प्रभावित या पूर्व धारित होंगी और न ही उपरोक्त खण्ड 13 के अंतर्गत उल्लिखित जमा को जब्त करेगी।

15. **दावा त्यागना:** भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के कर्मचारियों के निकट रिश्तेदारों को इस बोली में भाग लेने पर प्रतिबंध है। इस उद्देश्य के लिए निकट संबंधियों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

(क) अविभाजित हिन्दू परिवार के सदस्यों के रूप में;

(ख) उनके पति या पत्नी।

(ग) एक का दूसरे से इस प्रकार से संबंध जैसे पिता, माता ,पुत्र, पुत्र की पत्नी (बहू), पुत्री, पुत्री का पति (दामाद) भाई एवं भाई की पत्नी, बहन और बहन का पति (बहनोई)।

16. **दिवालियापन:**

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय का सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित किसी भी घटना में ठेकेदार की बिना मुआवज़े के लिखित में नोटिस द्वारा ठेका पूर्णत: समाप्त कर सकता है जो इस प्रकार है:-

यदि ठेकेदार व्यक्ति या यदि फर्म, ठेकदार की फर्म का कोई भागीदार हो, किसी भी समय दिवालिया घोषित होने पर या उसके विरूद्ध उसकी सम्पत्ति के प्रशासन के लिए प्राप्त आदेश या आदेशों या परिसमापन के लिए कोई कार्रवाई या उस समय लागू नहीं किसी दिवालियापन के तहत कोई संरचना या कोई सुविधा या उसके कार्य के प्रयास या कोई प्रबंधन करता है या अपने क्रेडिटरों के साथ समझौता या भुगतान स्थगित करे यदि फर्म भागीदारी के तहत भंग की जाती है अथवा;

i) एक कम्पनी होने के नाते यदि ठेकेदार एक संकल्प पारित करेगा या न्यायिक मामलों के परिसमापन के लिए आदेश देगा या डिबेंचर-धारक की ओर से प्रबंधक या प्राप्तकर्ता की नियुक्ति की जाए या ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जो न्यायालय या डिबेंचर-धारक को प्राप्तकर्ता या प्रबंधक की नियुक्ति का हकदार बनाए।

ii) यदि ठेकेदार इस ठेके का उल्लंघन करता है जिसका किसी विशिष्ट रूप से सबूत न हो, बशर्ते कि ऐसी अवधारणा कार्रवाई के किसी अधिकार को क्षति नहीं पहुंचाएगी या उपचार उपचित किया जाएगा या उसके बाद खरीददार को उपार्जित होगा और उपचित किया जाएगा इसके बाद ठेकेदार खरीददार को किसी अतिरिक्त व्यय के भुगतान का दायी होगा, इस प्रकार वह, किसी लाभ या पुनः खरीद का हकदार नहीं होगा।

17. ठेका भंग करनाः

ठेके की किसी निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन के मामले में, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सक्षम प्राधिकारी को बिना कोई कारण बताए ठेका रद्द करने का अधिकार होगा तथा उस स्थिति में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कुछ भी देय नहीं होगा तथा उस स्थिति में ठेकेदार द्वारा जमा निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में प्रतिभूति जमा को सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और ठेकेदार का काली सूची में नाम लिखा जायेगा।

18. कार्य का उप-ठेका देना: भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना ठेकेदार ठेका या उसके किसी भाग का उप-ठेका, आगे किराये पर देना, हस्तांतरण या कार्य नहीं सौंपेगा। ठेकेदार द्वारा इस शर्त के उल्लंघन में, सक्षम प्राधिकारी ठेकेदारों के जोखिम तथा लागत पर अन्य किसी को ठेका देने का हकदार होगा और ठेकेदार उस हानि अथवा क्षति के लिए उत्तरदायी होगा जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को ठेके के इस प्रकार प्रतिस्थापन के कारण या उदभूत होने पर हो सकती है।

19. भुगतान की शर्तें:

19.1 कार्य प्रदान करने के आधार पर अग्रिम में कोई भुगतान नहीं किया जाएगा तथा न ही किसी बैंक या वित्तीय संस्था से किसी ऋण की सिफारिश की जाएगी।

19.2 ठेके के लिए तिमाही भुगतान किया जाएगा तथा ठेकेदार को बिल की राशि की संस्वीकृति तथा भुगतान के लिए बिल पास करने हेतु पिछले माह के संदर्भ में प्रत्येक तिमाही के अन्त में बिल प्रस्तुत करना होगा।

19.3 सभी भुगतान सरकार के नियमों के अनुसार तथा समय-समय पर लागू रूप में टी.डी.एस. काटने के पश्चात केवल चैक द्वारा ही किए जाएंगे।

19.4 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के पूर्ववर्ती पैरा में वर्णित शास्तियों की वसूली के तहत किसी भी भुगतान को पूर्ण या आंशिक रूप से रोकने की स्वतंत्रता होगी।

19.5 इस पैरा में वर्णित शब्द 'भुगतान' में ठेके के पृथक खंडों द्वारा शासित बयाना राशि जमा तथा प्रतिभूति जमा को छोड़कर इस ठेके के कारण उत्पन्न ठेकेदार को देय सभी प्रकार के भुगतान सम्मिलित हैं।

20. **प्रमाण पत्र/ प्रत्यय पत्र:**

क. बोलीदाता को इस संदर्भ में सरकारी कार्यालयों में फैक्स मशीनों की सीएएमसी सेवाएं प्रदान करने मे कम से कम 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। **बोलियों की प्रस्तुति की तिथि से पांच वर्षों के लिए फैक्स मशीनों की सीएएमसी सेवाएं देने वालों को दर्शाने वाले संबंधित सरकारी कार्यालय द्वारा जारी सहायक दस्तावेज अर्थात् अनुभव प्रमाण पत्र तथा कार्य आदेश बोली के साथ संलग्न होने चाहिए।**

बोली दस्तावेजों में उल्लिखित कार्य की मात्रा/आवश्यकता अनंतिम है तथा यह भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार भिन्न हो सकती है।

21. **निरीक्षण:** यह कार्य, किसी भी मामले में, कार्यान्वयन के बाद भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए दायी होगा और विनिर्देश/गुणवत्ता के अनुसार न पाई गई किसी मद (ओं) को निरस्त कर दिया जाएगा तथा ठेकेदार को अपनी

गलत तथा जोखिम पर उक्त को पुन: कार्यान्वित करना होगा और अन्यथा वह ऐसे निरस्तीकरणों के लिए उत्तरदायी होगा।

22. **ठेकेदार की ओर से ठेकागत दायित्व:**

(i) फैक्स मशीनों के संदर्भ में सीएएमसी ठेका व्याख्यात्मक होना चाहिए और इसमें सभी प्रकार की मरम्मतों, रख-रखाव, सभी खराब पुर्जो को बदलने की लागत शामिल होगी।

(ii) ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि केवल संबंधित ब्रांडो द्वारा प्राधिकृत उच्च गुणवत्ता के ब्रांड को ही सीएएमसी के दौरान खराब पुर्जो, अतिरिक्त पुर्जे के प्रतिस्थापन के लिए उपयोग किया जाता है। यदि बाद में निम्न गुणवत्ता/अन्य/ब्रांड/खराब गुणवत्ता मदों की आपूर्ति की गई पाई जाती है तो प्रतिभूति जमा की जब्ती तथा उन्हें भविष्य में बोली से प्रतिबंधित करने सहित ठेकेदार के प्रति आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

(iii) ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके इंजीनियरों द्वारा इस कार्यालय के दोनों भवनों में सभी फैक्स मशीनों की सामान्य जांच के लिए अनिवार्य रूप से कम से कम एक दौरा प्रतिदिन यह देखने के लिए किया जाता है कि सीएएमसी के तहत सभी फैक्स मशीनों उचित प्रकार से कार्य कर रही हैं।

(iv) ठेकेदार को शिकायतें दर्ज कराने के लिए अपनी सर्विस एजेंसी के टेलिफोन नवम्बर के अलावा निविदा आवेदन फॉर्म (अनुबंध-III) में एक ई-मेल अकाऊंट अनिवार्य रूप से देना चाहिए। ठेकेदार द्वारा सभी शिकायतों को उनके दर्ज होने (ईमेल या टेलीफोन) के 12 घंटो के अन्दर तत्काल देखा जाना चाहिए जिसमें विफल होने पर ठेकेदार पर पैरा 14 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

(v) ठेकेदार फैक्स मशीनों के अनुरक्षण के संबंध में सभी सुरक्षा सावधानी लेखा, जिसमें विफल होने पर भारत के नियंत्रण-महालेखापरीक्षक के कार्यालय का कोई भी उत्तरदायित्त्व नहीं होगा।

(vi) दोनों भवनों की सभी फैक्स मशीनों की मरम्मत तथा अनुरक्षण का कार्य ठेकेदार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के परिसर में किया जाएगा। तथापि, यदि फैक्स मशीनों को कार्यालय परिसर से बाहर ले जाने की आवश्यकता होने की स्थिति में यह ठेकेदार द्वारा अपने जोखिम एवं लागत पर किया जाएगा।

33. मध्यस्थता: फर्म और इस कार्यालय के बीच किसी भी विवाद या मतभेद होने पर, चाहे वह इन निबंधन एवं शर्तों के तहत आदेशों के निष्पादन के दौरान हो अथवा उसके बाद, चाहे वह उल्लंघन द्वारा इस तरीके से हो:

(i) निबंधन एवं शर्तों का तैयार करना

(ii) पक्षों के तत्संबंधी अधिकार और देयतायें

(iii) इन निबंधन एवं शर्तों के संबंध में या संबंधित अथवा इससे जुड़ी कोई बात या मामला होने पर या तो एक पक्ष दूसरे पक्ष को नोटिस देगा और ऐसा विवाद या मतभेद भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा नामित उस व्यक्ति द्वारा मध्यस्थ को भेजा जाएगा और ऐसे मध्यस्थ का निर्णय अंतिम और दोनों पक्षों के लिए बाध्य होगा। मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होंगे।

34. ठेका दिल्ली/नई दिल्ली के सक्षम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

(दिनेश कुमार)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (सा.से.)

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं.121/जीएस/90-2012 **दिनांक : 08.04.2016**

अनुबंध-II

कार्यों का कार्यक्रम/अपनी कीमते उद्धृत करें

क्र सं. (1)	फैक्स मशीनों का विवरण (2)	अनुमानित मात्रा (3)	प्रति मशीन सीएएमसी प्रभार (रूपए) (4)	कुल उद्धत राशि(₹) (प्रति वर्ष) (का.3x4) (5)
1.	एचपी 8500 ए	01		
2.	शार्प एफओ-ए 650	01		
3.	सेमसंग एससीएक्स-4521 एफ	42		
	कुल फैक्स मशीनें	**44**	**सीएएमसी के लिए उद्दत कीमतें**	
			कर यदि कोई हो तो	
			कुल उद्दत कीमतें	

टिप्पणीः

i. प्रति मशीन सीएएमसी प्रभार प्रत्येक मॉडल हेतु बोलीदाता द्वारा अलग से उद्वृत किया जाना चाहिए।

ii. टीडीएस, जैसे भी लागू हो, काटने के बाद भुगतानों की शर्तों में विनिर्दिष्ट के रूप में ठेकेदारों को तिमाही भुगतान (अनुबंध-I) किया जाएगा।

iii. मूल्य एक वर्ष की अवधि हेतु वैध होंगे और मूल्यों में ठेके के दौरान कोई भी वृद्धि नहीं की जाएगी।

iv. मूल्य किसी भी परिवर्तन, सुधार, ओवरराईटिंग आदि से मुक्त होंगे जिसके विफल होने की स्थिति में बोली को पूर्णतः रद्द कर दिया जाएगा।

तिथिः

स्थान

(बोलीदाता के हस्ताक्षर)

(कार्यालयी सील)

पूरा नाम और पदनाम

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं.121/जीएस/90-2012 **दिनांक : 08.04.2016**

अनुबंध-III

<u>निविदा आवेदन फार्म</u>

1.	बोलीदाता एजेंसी का नाम	
	बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का नाम एवं पदनाम	
2.	पूरा डाक पता	
3.	दूरभाष न.	
	मोबाइल न.	
	फैक्स न.	
4.	ई मेल	
5.	फर्म की स्थापना की तिथि	
6.	प्रयोजन का प्रकार (भागीदारी/लिमिटेड कं/सरकारी कं/पीएसयू/(भूसंपति) (रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न करनी चाहिए)	
7.	रजिस्ट्रेशन सं. (अभिप्रमाणित/स्व-अभिप्रमाणित रजिस्ट्रेशन/भागीदारी विलेख/स्वामित्व विलेख की प्रति संलग्न की जानी चाहिए)	
8.	क्या बोलीदाता के पास सरकारी विभाग में समान क्षेत्र में लगातार पांच वर्ष से अधिक का अनुभव है (यदि हॉ, समर्थन दस्तावेज/अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित सरकारी कार्यालय से विधिवत अभिप्रमाणित करवाकर संलग्न करने चाहिए)	
9.	पिछले पांच वर्षो के दौरान निष्पादित सरकारी अनुबंधो की जानकारी (ऐसे अनुबंधो की तालिका संलग्न की जानी चाहिए)	
10.	पैन खाता नम्बर (पैन की अभिप्रमाणित/स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए)।	
11.	सेवा कर नम्बर (सेवा कर की अभिप्रमाणित/स्व अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए)	
12.	ईएमडी मांगपत्र संख्या तथा तिथि	
	जारी करने वाले बैंक की जानकारी	
	राशि	

भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय

पॉकेट 9 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली-110124

निविदा सं.121/जीएस/90-2012 **दिनांक : 08.04.2016**

<u>वचन</u>

1. मै. अधोहस्ताक्षरित प्रमाणित करता हूँ कि मैनें बोली दस्तावेज में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने का वचन देता हूँ।
2. मेरे द्वारा प्रस्तुत दरें वैध और ठेके की पूर्ण अवधि के लिये मुझ पर बाध्यकारी हैं और यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तुत दरे न्यूनतम दरें है जैसी भारत में किसी भी अन्य संस्था में प्रस्तुत हैं।
4. मैं/हम भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय के सक्षम प्राधिकारी को मेरे/एजेन्ट की ओर से कोई विलम्ब होने अथवा नियुक्त फर्मों से वॉछित गुणवत्ता की वस्तुओं की आपूर्ति करने में विफल होने पर ठेके मेरे/हमारे द्वारा जमा बयाना राशि/सुरक्षा जमा को जब्त करने के अधिकार देता हूँ।
5. इस प्रकार मैं निविदा दस्तावेज/कार्य आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार नियत अवधि के अन्दर सेवाएं प्रदान करने का उत्तरदायित्व लेता हूँ।
6. मैं यह भी वचन देता हूँ कि मैं चयन होने पर निविदा जांच की निवन्धन तथा शर्तों के अनुसार निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करूगॉ जिसमें विफल होने पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा मेरी ब्याना राशि जमा जब्त की जा सकती है तथा उस स्थिति में मैं भावी निविदाकरण से विवर्जित किये जाने के लिए उत्तरदायी हूँ।

(बोलीदता के हस्ताक्षर)

स्थान:

दिनांक:

पदनाम:

(बोलीदाता की कार्यालय मुहर)